F73590

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–१२वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या– /सी–३/विविध–७५/२०१६/ दिनांक– 10.2.16

कार्यालय–ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशाला से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में दायर रिट याचिका–(सिविल) 309/2003, लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अ0शा0 पत्र संख्या–7/4/2011–एडब्लूडी, दिनांक 02.07.2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुवधशालाओं के संचालन से संबंधित विषयों के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1838/नौ–8–12–02सीएस/12, दिनांक 11.09.2012 द्वारा राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

नगर विकास अनुभाग–8 के पत्र संख्या 32/9–8–2016–02सी.एस./12, दि0 06.01.2016 के साथ संलग्न राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 14.12.2015 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त में निर्णय लिया गया है कि भविष्य में "पशुवधशाला से संबंधित किसी परियोजना पर विभिन्न एजेन्सियों/संस्थाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/क्लीरेन्स प्राप्त करने से पूर्व संबंधित फर्म जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव/परियोजना का परीक्षण कराकर, पशुधन की उपलब्धता, उस जनपद में पूर्व से विद्यमान पशुवधशालाओं को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर नवीन पशुवधशालाओं की स्थापना का औचित्य एवं आवश्यकता का आंकलन किये जाने के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव **"राज्य स्तरीय समिति"** के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं **"राज्य स्तरीय समिति"** के अनुमोदन के उपरान्त ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं/एजेंसियों से यथावश्यक अनापत्ति/क्लीरेन्स प्राप्त कर परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।"

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमति से बोर्ड के समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

(एस० सी० यादव)
सदस्य–सचिव

पृ० सं० एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक।
२. बोर्ड मुख्यालय के समस्त इकाईयों के नियंत्रक अधिकारी/ समस्त क्षेत्रीय अधिकारी।
३. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
४. गार्ड फाइल।

सदस्य–सचिव